न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :- 70/2023

वादी :-
1. सुरता देवी पत्नी मोहनलाल जाति विश्नोई निवासी रामनगर (कापरडा) तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-
1. कोजाराम पुत्र डूंगरराम जाति जाट निवासी कापरडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा चौपासनी रोड जोधपुर
3. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :- वादी - श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं.- 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या - 3 सरकारी पैरोकार।

दिनांक :- 05/03/24

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कापरड़ा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 204 रकबा 4.1906 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1009/1254 व० हिस्सा वादी का तथा 245/1254 वाँ हिस्सा प्रतिवादी संख्या-1 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादी द्वारा वादी के हक व हिंस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है इस कारण वादी ने प्रतिवादी को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने के लिए कहा, लेकिन प्रतिवादी इसके लिए तैयार नही हुये तो वादी अपने 1009/1254 वाँ हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश करना पड़ रहा है। प्रतिवादी वादी को उनके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में अड़चने पैदा कर रहे है, तथा बीना बंटवाड़ा कराये भूमि का वैचान हस्तान्तरण की कोशिश की जा रही है। इस कारण वादी को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से खातेदारी में दर्ज की गयी भूमि में वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखल पैदा नही करने के लिए प्रतिवादी को पाबन्द करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश करना पड़ रहा है। वाद कारण विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से तथा प्रतिवादी द्वारा दिनांक 03.07.2023 को वादी के कब्जे व काश्त में दखल करने पर तथा तहसील में चलकर आपसी सहमति सें बंटवाड़ा करने के लिए तैयार नहीं होने पर बमुकाम ग्राम कापरड़ा तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो निरन्तर जारी है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अतः वादी का वादपत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम कापरड़ा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 204 रकबा 4.1906 हैक्टेयर का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवाड़ा किया जाकर वादी का 1009/1254 वां हिस्सा की भूमि अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादी के बंट एवं हिस्से की भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न अन्य किसी से करावे। खर्चा मुकदमा वादी को, प्रतिवादी संख्या 1 से दिलाया जावें। अन्य दादरसी जो वादी के हित में हो, दिलायी जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 20.01.2026 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम कापरडा, की सरहद में स्थित भूमि खसरा सं. 204 रकबा 4.1906 हैक्टयर में वादीया का 1009/1254 वां हिस्सा का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डरी बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र. सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट)
1	कोजाराम पुत्र डूंगरराम जाति जाट सा.देह खातेदार रहन- एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा चौपासनी रोड जोधपुर	204	0.8187
	कुल खसरा	1	0.8187
2	सूरतादेवी पत्नी मोहनलाल जाति विश्नोई सा. रामनगर खातेदार रहन- बैंक आफ बडौदा शाखा बिलाडा	204	3.3719
	कुल खसरा	1	3.3719

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 23.03.2026 के अनुसार वादीया के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीया व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीया के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव व बंटवाडा प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 23.03.2026 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 05/05/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादीया | **बनाम** | **प्रतिवादीगण**
सुरतादेवी | | कोजाराम वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :- 70/2023

<u>निर्णय</u> दिनांक :- 05/03/26

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या-1 व 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या -3 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीया व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीया के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। बंटवाड़ा प्रस्ताव व बंटवाडा प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 23.03.2026 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा					
			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर0 तलबाना		
			मीजान		
मीजान					

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा